नगरपालिका परिषद रामनगर नैनीताल
शर्ते ठेका काशीपुर रोड निर्मित पार्किंग स्थल
वित्तीय वर्ष (2026–27)
(दिनांक 01–05–2026 से 31–03–2027)

1. पार्किंग की क्षमता – 16 वाहन चार पहिया।
2. पालिका सीमान्तर्गत काशीपुर रोड स्थित पार्किंग स्थल का आवंटन पार्किंग स्थल पर खड़े वाहनो से पार्किंग शुल्क वसूली कार्य ठेके पर किया जायेगा।
3. ठेके हेतु न्यूनतम धनराशि रू 1,59,974=00 (एक लाख उनसठ हजार नौ सौ चौहत्तर रू) एवं 18 प्रतिशत (जी0एस0टी) अतिरिक्त निर्धारित है।
4. उक्त पार्किंग का संचालन एवं रखरखाव निविदादाता द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र मूल्य रू 500.00 एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित 590.00 रू होगा।
6. पार्किंग में वाहनो से निम्नानुसार शुल्क लिया जायेगा।

कम सं0	वाहन का प्रकार	निर्धारित शुल्क
01	दो पहिया वाहन	रू 10.00 रू प्रति 08 घण्टा की दर से 30.00 रू प्रतिदिन।
02	तीन पहिया वाहन	रू 15.00 रू प्रति 08 घण्टा की दर से 45.00 रू प्रतिदिन।
03	छोटे चार पहिया वाहन	रू 20.00 रू प्रति 08 घण्टा की दर से 60.00 रू प्रतिदिन।
04	चार पहिया वाहन 08 सीटर से अधिक	रू 30.00 रू प्रति 08 घण्टा की दर से 90.00 रू प्रतिदिन।
05	बस/ट्रक	अनुमन्य नही।

7. निर्धारित दरो से अधिक शुल्क नही वसूला जायेगा।
8. निविदा (तकनीकी) के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होंगे।
   - आधार कार्ड।
   - अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदारी (उपजिलाधिकारी द्वारा निर्गत) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
   - पैन कार्ड।
   - राशन कार्ड या ऐसा दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यो की पुष्टि करता हो।
   - रू 15,997.00 का अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से बंधक एफ0डी0आर0 (मूल रूप) में जमानत धनराशि के रूप में।
   - निविदादाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - निविदादाता को निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत की डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी0डी0)संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
9. ठेका आवंटन हेतु सीलवन्द निविदा पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा ही प्राप्त किये जायेंगे। तकनीकि निविदा व वित्तीय निविदा का लिफाफा अलग अलग होगा,तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफो का एक वड़े लिफाफे में वन्द कर सीलबन्द करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
10. तकनीकि निविदा में सफल पाये जाने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
11. ठेकेदार द्वारा ठेका लिये जाने से मना करने पर ठेकेदार की जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी व ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा,एवं ठेका द्वितीय व तृतीय उच्चतर निविदादाता के पक्ष में स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
12. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 03 दिवस के भीतर नियमानुसार अनुवन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी,जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

निविदा राशि का 02 प्रतिशत नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुवन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क ,महानिरीक्षक निवंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र स0 –375/म0निनि0/2012–13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।

13. ठेके की 25 प्रतिशत धनराशि 30 सितम्बर 2026 एवं 25 प्रतिशत शेष धनराशि 28 फरवरी 2027 तक जमा करना आवश्यक होगा,जिस हेतु 02 post dated cheque नगरपालिका कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा,अवशेष धनराशि की वसूली भू राजस्व के वकाये की भांति वसूली की जायेगी।

14. किसी भी तरह की आपदा या अन्य कारणो से व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने अथवा व्यवसाय बाधित होता है तो इसका समस्त उत्तरदायी स्वयं निविदादाता होगा।

15. नगरपालिका परिषद रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के वकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यो को प्रतिभाग करने का अधिकार नही होगा।

16. निविदादाता को इकाई का संचालन स्वयं करना होगा। निविदादाता किसी अन्य व्यक्ति या अन्य संस्था को इकाई संचालित करने हेतु नामित/चयनित नही करेगा।

17. किसी भी प्रकार के कर अथवा जी0एस0टी0 यदि स्थानीय प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर पर आरोपित किये जाते है,तो किराये के अतिरिक्त उनके भुगतान का दायित्व पृथक से निविदादाता को होगा।

18. निविदादाता द्वारा किसी भी प्रकार का अस्थाई तथा स्थाई निर्माण नही किया जायेगा,यदि आवश्यक हो तो लिखित रूप में पूर्वानुमति किया जाना आवश्यक होगा।

19. निविदादाता यह भी सुनिश्चित करेगा कि वाहन स्वामियो द्वारा या अन्य किसी के भी द्वारा प्लास्टिक या खाद्य सामाग्री एवं बाजारी वस्तु का कचरा उक्त स्थल पर नही फेंकेगा तथा गन्दगी कदापि नही करेगा साथ ही परिसर की नियमित साफ सफाई करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य आता है तो ऐसी स्थिति में निविदादाता के विरूद्ध नियमानुसार सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी अथवा रू 1000.00 प्रत्येक मात्र के अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा।

20. ठेकेदार को काशीपुर रोड स्थित पार्किंग स्थल की रसीदो के नमूने नगरपालिका परिषद कार्यालय से ले जाकर मजमून के अनुसार रसीद बुके अपने खर्चे से छपवानी होगी।

21. ठेकेदार द्वारा निर्गत की गयी काशीपुर रोड स्थित पार्किंग स्थल की रसीदो को नगरपालिका परिषद के अधिकारियो को जांच करने का अधिकार होगा

22. निविदादाता का यह भी दायित्व होगा कि उक्त स्थल पर आने वाले पर्यटको/यात्रियो को पर्यावरण साफ – सुथरा रखने हेतु जागरूक करेगा।

23. परिसम्पत्ति की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित रखने का पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। किसी भी प्रकार का फड़–खोखे –ठेले इत्यादि लगाया जाना पूर्ण प्रतिबन्धित होगा स्थल पर उक्त प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर शर्तो के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी,

24. उक्त स्थल में ऐसे व्यक्ति/व्यक्ति समूह की सूचना मिलती है कि सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्ति समूह किसी भी प्रकार का अपराधी हो या अपराधी होने की आशंका हो की सूचना तत्काल ही निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में करेगा।

25. परिसर से सम्बन्धित कैशबुक,बिलबुक,वाउचर्स एवं तत्सम्बन्धी अभिलेखो को अंकित करते संधारित करेगा।

26. परिसर के उचित स्थानो पर निर्धारित रेट लिस्ट प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

27. चयनित निविदादाता द्वारा पार्किंग पर तैनात कार्मिको की आई0डी0 कार्ड अनिवार्य रूप से स्वयं के व्यय पर बनायी जानी अनिवार्य होगी।

28. नगरपालिका परिषद रामनगर के प्रतिनिधि किसी भी समय उक्त स्थल में अभिलेखो के निरीक्षण करने हेतु स्वतन्त्र होगा। तथा किसी भी सम्बन्धित अभिलेख मांगे जाने पर तत्सम्बन्धी अभिलेख तत्काल प्रस्तुत करना होगा।

29. निविदादाता द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली कार्य दिनांक 01–05–2026 से प्रारम्भ करना होगा अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

30. पार्किंग स्थल में वाहनो की मरम्मत व सर्विसिंग का कार्य अनुमन्य नही होगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
रामनगर (नैनीताल)

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद
रामनगर (नैनीताल)

31. ठेका अवधि के दौरान पार्किंग स्थलं में हुई किसी भी प्रकार की टूट–फूट की ठेकेदार द्वारा स्वयं अपने खर्चे से मरम्मत करवाई जायेगी।
32. ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके का दखल ठेकेदार द्वारा नगरपालिका परिषद रामनगर को सौप दिया जायेगा,अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू–राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा।
33. किसी भी प्रकार के विवाद या न्यायाधिकार मा0 न्यायालय रामनगर (नैनीताल) होगा।
34. सम्पत्ति की आवश्यकता होने पर 01 माह के लिखित नोटिस पर सम्पत्ति को खाली करवाया जा सकता है। ऐसी दशा में जमा कराये गये अधिशुल्क की आनुपातिक धनराशि वापस की जायेगी, परन्तु संचालन अवधि के मध्य में संचालन छोड़ने की स्थिति में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
35. वाहनो की सुरक्षा हेतु सी0सी0टी0वी0 व्यवस्था स्वयं के व्यय पर की जानी होगी। वाहनो की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
36. ठेको की का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5000=00 (पाँच हजार रू0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार रू0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू–राजस्व की भाँति वसूली की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
37. निविदा की शर्ते अनुबन्ध का भाग होगी।

अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद रामनगर

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद रामनगर